

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002 Email ID : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 1209 दिनांक:- 29.11.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के०भी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे० (चतरा उत्तरी-61.772 हे०, चतरा दक्षिणी-119.8806 एवं लातेहार-15.3589 हे०) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 3134 दिनांक 20.10.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु वांछित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1377 दिनांक 25.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति इस पत्र के साथ इस कार्यालय के पत्रांक 996 दिनांक 28.09.2022 के क्रम में संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

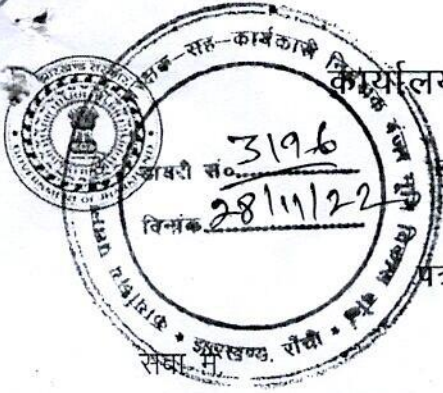
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

29.11.2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. D. S.  
29.11.22





पत्रांक:- 1377

दिनांक:- 25/11/2022

कैमुद्दीन मिर्झा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह- कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषय:- मेसर्स नार्थ कर्णपुरा ट्रान्सको लि० द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपुरा (टंडवा) से गया तक 400 के०भी० डी०सी० ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे० (चतरा उत्तरी- 61.772 हे०, चतरा दक्षिणी- 119.8806 हे० एवं लातेहार- 15.3589 हे०) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका ज्ञापांक 996 दिनांक 28.09.2022  
महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू का कार्यालय पत्रांक 2132 दिनांक 20.10.2022 (छायाप्रति संलग्न- अनु०- 1), क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का कार्यालय पत्रांक 2386 दिनांक 21.10.2022 (छायाप्रति संलग्न- अनु०- 2) तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में अंकित सूचना के आधार पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नलिखित है:-

1. प्रस्तावित अपयोजन भूमि के इर्द-गिर्द वन्यजीवों का आवागमन होने की स्थिति में तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिप्रेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा। प्लान में दिनांक 31.12.2021 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक में NBWL द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/ वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों का सार (MoEF&CC F-No- 6&141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) विशेषकर हाथियों की सुरक्षा के विचारों एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा जारी मानक एसओपी/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. परियोजना हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 66 वीं बैठक दिनांक 31.12.2021 में NBWL द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/ वनों की भूमि के प्रबंधन के मामलों में लिए गए निर्णयों के सार (MoEF&CC F-No- 6&141/2021WL दिनांक 1 फरवरी 2022 द्वारा परिचालित) विशेषकर ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में वन्यजीवों/ हाथियों को आकस्मिक इलेक्ट्रोक्वैशन से बचाने के लिए बिजली लाइनों के सबसे निचले कंडक्टर या ग्राउंडिंग तारों (अर्थात् अधिकतम शिथिलता बिंदु पर) के सबसे निचले बिंदु पर विभिन्न ढलान वाली जमीन से ऊपर की ऊंचाई और अन्य एरोबोरियल प्रजातियों को इलेक्ट्रोक्वैशन से सुरक्षित रखने संबंधित निर्णय अनुसार सुनिश्चित करने तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रैखिक परियोजनाओं के लिए Wildlife Institute of India द्वारा प्रकाशित "Eco&Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" द्वारा जारी मानक एसओपी/ दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।



3. वन्यप्राणियों विशेषकर हाथियों के संभावित electrocution से बचाव के लिए ABC cable (insulated Aerial Bundled Cable) का प्रयोग किया जाना अपेक्षित होगा।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों पर विषय वस्तु विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के माध्यम से पारिस्थितिकी, और वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर परियोजना के संभावित प्रभाव का आकलन किए जाना अपेक्षित होगा। यह landscape areas में वनस्पतियों और जीवों पर डेटा के संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है और इस हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा rare/endorsed/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी गयी list of threatened plant species endemic to region और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव-जंतु, लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।
5. इस परिदृश्य को देखते हुए की परियोजना क्षेत्र के आसपास वन्यजीवों के आवासों के गंभीर विखंडन के कारण हाथियों की आवाजाही के क्षेत्र पहले ही प्रतिबंधित हो गए हैं और हाथियों की आबादी झारखंड में नए क्षेत्रों में फैल रही है। इसलिए संघर्ष क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भी विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी। यह मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव शमन उपायों के माध्यम से हाथियों के साथ-साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके।
6. उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता से, परियोजना प्रस्ताव क्षेत्र के प्रभावित होने वाले क्षेत्र हेतु हाथियों और मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र के प्रबंधन के लिए विशेष रणनीतिक कार्य योजना और संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों व जीव-जंतुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों और पड़ने वाले संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव सहित ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण से उद्भूत वन्यप्राणियों के habitat Fragmentation तथा वन्यप्राणी संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में Project Cost पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में एक "एकीकृत साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण, प्रबंधन और शमन योजना" तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
 25/11/22  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी,  
 एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड।  
 25/11/22